

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
सागर

Email - eepwdnhsagar@mp.nic.in

Phone No. 07582-222206 Fax No. 07582-241438

पत्र क्र. ३१० कार्य / 2020-21

सागर दिनांक 27/01/21

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(मू-प्रबंध)
सतपुड़भवन, वन विभाग
भोपाल (म.प्र.)

वन भूमि में परियोजना लगाने का औचित्य (Justification)

गुलगंज - अमानगंज - पवई - कटनी राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्रमांक 43 एक्स. विद्यमान मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाना है। परियोजना में छतरपुर जिले के अंतर्गत प्रस्तावित किमी. 43+00 से प्रस्तावित किमी. 77+00 तक प्रभावित होने वाली कुल वन भूमि 31.900 हेक्टेयर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित वन भूमि को परियोजना निर्माण हेतु उपयोग में लिये जाने का क्या औचित्य है इस विषय के परिपेक्ष निम्नानुसार है।

चूँकि परियोजना में यातायात की वृद्धि लगातार होती जा रही है और साथ ही भारी वाहनों की संख्या में भी दिन-ब-दिन वृद्धि होती जा रही है इसलिए मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक है। मार्ग के चौड़ीकरण के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि मौजूदा मार्ग में तीव्र घुमावदार मोड़ को भी कुछ हद तक सीधा किया जा सके ताकि मार्ग में होने वाली दुर्घटना में भी कमी हो सके। साथ ही मार्ग पर कुछ पहाड़ी ढलान/चढ़ाव काफी तीव्र है जिनसे भारी वाहनों को चढ़ाई को चढ़ने व उतरने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आये दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। साथ ही कुछ कस्बों व गाँवों में भी विद्यमान मार्ग का मार्ग रेखा में बदलाव कर बायपास प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि गाँवों व कस्बों में लगने वाले जाम तथा दुर्घटना से निजात पा सके।

अतएवं उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब मौके पर विद्यमान मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि मार्ग के कुछ हिस्सों में दोनों तरफ वनभूमि लगी हुई है और यदि मार्ग की उपरोक्त समस्याओं का निदान किया जाता है तो निश्चित ही वनभूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

अतः उपरोक्त मार्ग के उचित निर्माण हेतु वनभूमि का व्यपवर्तन किया जाना ही एक मात्र विकल्प है जो वनभूमि के व्यपवर्तन के औचित्य सहित प्रेषित है।

4/5
S.D.O.
W.D. (N.H.) Sub. Division
Chhatrapur (M.P.)

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा. संभाग
सागर